अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

रूकमा बनाम उदराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट | प्रकरण संख्या 80 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
09.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीया की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 13/36 की कुल 25.3430 हैक्ट व खाता स0 19/10 की कुल 11.8890 हैक्ट भूमि के विशेष खसरा नम्बर को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 28/06/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
28.6.23	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 21, 22, 24, 29, 31, 24, 32, 33, 13, 28, 30, 11 कि तरफ से अधिवक्ता श्री नरेश [illegible] जोशी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है। श्रीमान पी. ओ. [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/8/23 को पेश [illegible]	
25/8/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. [illegible] [illegible] पत्रावली दि0 12/[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

12/9/23 पत्रावली प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। ली गई। प्रार्थिया स्वयं उपस्थित। प्रार्थिया की पहचान पवित अधिवक्ता ने की। प्रार्थिया ने निवेदन किया कि अनुषांगी प्रार्थना पत्र में पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है अतः अनुषांगी प्रार्थना पत्र को खारिज करवाना चाहती प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में आगामी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली अन्य तथ्यों में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 20/10/23 मुकर्रर है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया राजीनामा बाबत स्वीकार किया जाता है। अनुषांगी प्रार्थना पत्र संख्या बनाम उपरोक्त आदि प्र० क्र० 80/2023 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नत्थी होकर तेय बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
मोहर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner